(१)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–आर/2021 दिनांकः जून 24 , 2021।

प्रधानाचार्य/प्रवन्धक
चन्द्र शेखर सीनियर सेकेण्ड्री पब्लिक स्कूल,
रामनगर, रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषयः **अग्निशमन सुरक्षा सम्वन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Pre-Operational के सम्वन्ध में।**

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्वरः–62862244, दिनांकः 29.05.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेव पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्वन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 24 जून 2021 से 23 जून 2024 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न भार्तो का पालन किया जाये।

1. सभी वाहर निकलने या वचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रवन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट वैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कर्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, आपके द्वारा किये गये अतिरिक्त निर्माण को अधिकृत विभाग से शमन कराते हुये आदेश/मानचितत्र की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राश्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आव यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय–समय पर अमल में लाना सुनिश्चित करेंगें।

Principal
Chandra Shaikhar Sr. Sec. Public School
Ram Nagar, ROORKEE-247667 (UK)

Manager
Chandra Shaikhar Public School
Ram Nagar, ROORKEE-247667